(128)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी–3/1,अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

क्रमांक : प.11(163)(आपिवआ/आरएण्डपी/सा.न्या.अ.वि./12/ 4153 दिनांक 10-1-2013

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में आर्थिक रूप से पिछडे हुए समाज के वर्गो का चिन्हीकरण, पिछड़ेपन के कारण उनको दूर करने एवं उनके समग्र विकास हेतु आवश्यक सुझाव व सिफारिशें देने हेतु राज्य सरकार एतद् द्वारा राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का पुनर्गठन करती है।

यह आयोग राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जायेगा।

इस आयोग की सदस्यता, और इसका कार्य क्षेत्र निम्नानुसार होगें :–

सदस्यता :

1. आयोग में इसके अध्यक्ष के अतिरिक्त एक सदस्य सचिव, तथा एक पूर्णकालिक/अंशकालिक सदस्य होगें।
2. अध्यक्ष व सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
3. सदस्य सचिव राज्य सरकार के कम से कम उप सचिव स्तर के कार्यरत/निवर्तमान अधिकारी नियुक्त होगें।
4. अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा परन्तु कोई भी अध्यक्ष या सदस्य समायावधि से पूर्व अपना त्याग पत्र राज्य सरकार को देकर आयोग की सदस्यता त्याग कर सकता है।
5. राज्य सरकार, आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को निम्न परिस्थितियों में पदमुक्त कर सकेगी :–
   (1) कानुनी रूप से दिवालिया घोषित होने पर,
   (2) किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण का दोषी पाये जाने पर,
   (3) किसी समक्ष न्यायालय द्वारा पागल करार दिये जाने पर,
   (4) कार्य करने से मना करने अथवा कार्य करने के अयोग्य होन पर,
   (5) आयोग को बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर,
   (6) राज्य सरकार की राय में अपने पद का दुरूपयोग करने के फलस्वरूप जनहित में पद पद बने रहने के अनुपयुक्त होने पर,
   (7) आयोग के सदस्यों में से कोई भी पद रिक्त होने पर रिक्त पद राज्य सरकार द्वारा नवीन मनोनयन कर तीन वर्ष के लिये भरा जा सकेगा।

D:\Motilal Meena\Letters.doc
Tel no. 0141-2220258 ,2226642
E-Mail-sjeraj_bc@yahoo.co.in
Fax no. 2226631

कार्य एवं शक्तियां :

1. यह आयोग सामाजिक समरसता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के आधार पर, और अनुसूचित जाति–जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही करते हुए, समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो का चिन्हीकरण कर उनकी सूची बनायेगा, उनकी आवश्यकताओं का आंकलन करेगा एवं डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 13491/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिए गए निर्णय दिनांक 22.12.2010 के क्रम में **परिमाणनात्मक आंकड़ो (Quantifiable data) का संकलन करने का कार्य संपादित करेगा।**

2. यह आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जाति/विशेष पिछड़ा वर्ग को छोड़कर, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गो की सूची में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने तथा उक्त सूची में कम या अधिक समावेश होने संबंधी अभ्यावेदनों का परीक्षण करेगा तथा राज्य सरकार हो इस बारे में सुझाव देगा।
3. यह आयोग आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो की पहचान के लिए मापदण्ड के बारे में सुझाव देगा।
4. (1) आयोग के सदस्यों के वेतन/भत्ते आदि राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किये जायेगें जिनका भुगतान आयोग को दिये गये वार्षिक अनुदान से दिया जायेगा।
   (2) आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वंय निर्धारित करेगा।
   (3) आयोग समय–समय पर राज्य सरकार को अपनाा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें उसके कार्यो का लेखा–जोखा व समीक्षा होगी।
5. आयोग का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।
6. यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होंगे।

आज्ञा से,

(अदिति मेहता)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

D:\Motilal Meena\Letters.doc
Tel no. 0141-2220258 ,2226642
E-Mail-sjeraj_bc@yahoo.co.in
Fax no. 2226631

(129)

क्रमांक : प.11(163)(आपिवआ / आरएण्डपी / सा.न्या.अ.वि. / 12 / 4154-350 दिनांक 10.7.13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त मंत्री / राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन / शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।
6. सम्भागीयआयुक्त,जयपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / जोधपुर / उदयपुर / भरतपुर
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
10. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
11. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
12. गार्ड फाइल।

(अदिति मेहता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

D:\Motilal Meena\Letters.doc
Tel no. 0141-2220258 ,2226642
E-Mail-sjeraj_bc@yahoo.co.in
Fax no. 2226631